राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2091/2009

नरेन्द्र कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, वीरहनुमानजी मार्ग, चौमू, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.12.2009

आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 09.12.1998 (अनुलग्नक–4) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के आधार पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.01.1975 से सेवाओं की गणना करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए और अपीलार्थी से जो रूपये 5319/– की वसूली की गई है, उसे वापिस लौटाई जाए एवं उसके फलस्वरूप पारिणामिक लाभ दिए जाएं।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.01.1975 को अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में की गई। राज्य

सरकार ने दिनांक 25.01.1992 के द्वारा कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिए जाने का प्रावधान किया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 25.01.1993 (अनुलग्नक–3) के द्वारा दिया गया, जिसे बाद में इस आधार पर वापस ले लिया गया कि अपीलार्थी प्रशिक्षित नहीं है और अपीलार्थी से रूपये 5,319/– रूपये की वसूली निकाली गई।

अपीलार्थी से उक्त लाभ इस आधार पर वापस लिया गया कि विभाग द्वारा दिनांक 27.07.1995 को परिपत्र जारी किया गया कि जो कर्मचारी अप्रशिक्षित लगे हैं, उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रशिक्षित मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए। उक्त तथ्य की पुष्टि विभाग द्वारा जारी अनुलग्नक–4 व 5 से होती है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् प्रशिक्षित मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ देय होगा। उक्त परिपत्र दिनांक 27.07.1995 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अन्नमा चाकू बनाम राज्य में उक्त परिपत्र को विधि विरूद्ध मानते हुए अपास्त कर दिया, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई अर्थात् दिनांक 27.07.1995 के परिपत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2001(2) पुष्पलता हाडा बनाम राज्य के प्रकरण में पुनः दिनांक 27.07.1995 के आदेश को अपास्त कर दिया, जैसा कि पुष्पलता हाडा के निर्णय में पैरा 17 में निम्न प्रकार से अंकित है :–

"17. With the above observations, all the writ petitions are allowed and the impugned circular dated 27.7.1995 is quashed."

इससे स्पष्ट है कि दिनांक 27.07.1995 के परिपत्र के आधार पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान के लिए मना नहीं किया जा सकता। इस संबंध में निदेशालय संस्कृत विभाग द्वारा दिनांक 29.06.2002 के द्वारा आदेश जारी किया गया कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को उन्हें नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए। उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब उल जवाब के साथ अनुलग्नक–8 प्रस्तुत की है। माननीय अधिकरण ने भी अपने आदेश दिनांक 19.09.2012 अपील संख्या 1064/2002 में यह माना है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 09.12.1998 (अनुलग्नक–4) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के आधार पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.01.1975 से सेवाओं की गणना करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए और अपीलार्थी से जो रूपये 5319/– की वसूली की गई है, उसे वापिस लौटाई जाए एवं उसके फलस्वरूप पारिणामिक लाभ दिए जाएं।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को पूर्व में जो लाभ दिया गया था उसे उचित रूप से वापिस लिया गया है और दिनांक 27.07.1995 के परिपत्र के आधार पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रशिक्षित मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का जो उल्लेख है, वह विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि परिपत्र दिनांक 27.07.1995 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अन्नमा चाकू बनाम राज्य में उक्त परिपत्र को विधि विरूद्ध मानते हुए अपास्त कर दिया, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई। इससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 27.07.1995 के परिपत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2001(2) पुष्पलता हाडा बनाम राज्य के प्रकरण में पुनः दिनांक 27.07.1995 के आदेश को अपास्त कर दिया। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 27.07.1995 के परिपत्र के आधार पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान के लिए मना नहीं किया जा सकता। इस संबंध में निदेशालय संस्कृत विभाग द्वारा दिनांक 29.06.2002 के द्वारा आदेश जारी किया गया कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को उन्हें नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाए। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 09.12.1998 (अनुलग्नक–4) को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग

को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के आधार पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.01.1975 से सेवाओं की गणना करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे और अपीलार्थी से जो रूपये 5319/— की वसूली की गई है, उसे वापिस लौटाई जाए एवं उसके फलस्वरूप पारिणामिक लाभ दिए जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य